

बि०क०च०आ०-प्र०-०३/परीक्षा-आवेदन पत्र-२३७/२०२४.....

बिहार कर्मचारी चयन आयोग

पो०-वेटनरी कॉलेज, पटना-१४

आवश्यक सूचना

ज्ञापांक- 310/अर/

विज्ञापन संख्या-०१/१९,

पद- सहायक उर्दू अनुवादक

पटना, दिनांक- 20-1-25

वि०सं०-०१/१९, पद-सहायक उर्दू अनुवादक से संबंधित कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा इस आशय का आवेदन समर्पित किया गया है कि ऑनलाईन आवेदन फार्म भरते समय गलत आरक्षण कोटि BC का दावा भूलवश किया गया, जबकि अभ्यर्थी मूल रूप से MBC/EBC कोटि के अभ्यर्थी हैं। अभ्यर्थियों द्वारा अपने आरक्षण कोटि में सुधार करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त विज्ञापन के आरक्षण संबंधी कंडिका-४ में उल्लिखित है कि "ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।"

प्रकाशित विज्ञापन के शर्तों के अनुसार गलत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में मान्य करते हुए आयोग के पत्रांक-४०२४/आ०, दिनांक-२३.११.२०२४ द्वारा परीक्षाफल प्रकाशित की जा चुकी है।

विज्ञापन की शर्तों के आलोक में अभ्यर्थियों से कोटि परिवर्तन एवं अन्य प्रकार के मामले से संबंधित आवेदन/परिवाद पर विचार नहीं किया जायेगा।

मु
20-01-2025

अपर सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।